

न्यायालय — सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला — बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्र.क.क.मांक—600 / 2011
 संस्थित दिनांक—10 / 08 / 2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

विरुद्ध

नांदूलाल पिता मन्नीलाल, उम्र—30 वर्ष,
 निवासी—ग्राम ठेमा, थाना परसवाड़ा, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियुक्त**

// निर्णय //

(आज दिनांक—22 / 08 / 2014 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 (तीन काउंट), 338 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक—12.07.2011 को समय 11:45 बजे स्थान ग्राम घोघाटोला थाना बैहर अंतर्गत वाहन क्रमांक—एम.पी.50/ई.0168 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए, उक्त वाहन को पलटा कर आहत सुंदरलाल, शरद कुमार व पवन मोहारे को साधारण उपहति तथा राजेन्द्र उपाध्याय को अस्थि भंग कर घोर उपहति कारित किया।

2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक—12.07.2011 को समय 11:45 बजे स्थान ग्राम घोघाटोला थाना बैहर अंतर्गत वाहन बस क्रमांक—एम.पी.50/ई.0168 को लोकमार्ग पर तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए बस को घोघाटोला के पास मेन रोड पर नाले में पलटा दिया, जिससे उसमें बैठे आहतगण सुंदरलाल, शरद कुमार व पवन मोहारे, राजेन्द्र उपाध्याय को चोट आयी। उक्त घटना की लिखित तहरीर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर द्वारा थाना बैहर में दी गई। उक्त तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—79/2011, धारा—279, 337 भा.दं.वि. व धारा—184 मो.व्ही.एक्ट के अन्तर्गत कायमी कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। पुलिस द्वारा आहतगण का मुलाहिजा करवाया गया था, पुलिस ने विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा आहत राजेन्द्र उपाध्याय को आयी चोट के

संबंध में चिकित्सीय दस्तावेज प्राप्त होने पर आरोपी के विरुद्ध धारा-338 भा.दं.सं. का इजाफा किया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान उपरान्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 (तीन काउंट), 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :—

1. क्या आरोपी दिनांक-12.07.2011 को समय 11:45 बजे स्थान ग्राम घोघाटोला थाना बैहर अंतर्गत वाहन क्रमांक-एम.पी.50/ई.0168 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन उक्त वाहन को पलटा कर आहत सुंदरलाल, शरद कुमार व पवन मोहारे को साधारण उपहति किया ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन को पलटा कर आहत राजेन्द्र उपाध्याय को अस्थि भंग कर घोर उपहति कारित किया?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— आहत सुंदरलाल (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व की है, वह बिठली से बालाघाट पटेल बस में बैठकर जा रहा था तो घोघाटोला के आगे नाले के पास स्टेरिंग फेल हो जाने से आरोपी बस को रोक नहीं पाया और बस नाले में पलट गई, जिससे उसके मस्तक पर चोट आयी थी। उसका ईलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में हुआ था। घटना समय बस धीरे चल रही थी। उक्त बस का नम्बर उसे नहीं मालूम। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी के द्वारा बस को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर बस को पलटा दिया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना के समय बस का स्टेरिंग फेल हो जाने पर आरोपी ने बस को रोका था, यदि बस नहीं रोकता तो मोड़ पर बड़ी दुर्घटना होती। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने दुर्घटना से बचाने का पूरा प्रयास किया

और बस को रोक दिया था। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण साक्षी जो स्वयं घटना में आहत भी रहा है, के द्वारा साक्ष्य में केवल इस तथ्य की पुष्टि की है कि उसे दुर्घटना में साधारण चोट आयी थी, किन्तु आरोपी की उक्त दुर्घटना में गलती होने या उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाये जाने से साक्षी ने स्पष्ट रूप से इंकार करते हुए बस का स्टेरिंग फेल होने के कारण दुर्घटना घटित होने का तथ्य प्रकट करते हुए अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

6— आहत शरद कुमार (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं ली थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी के द्वारा बस को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर बस को पलटा दिया था। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है तथा उसे कथित दुर्घटना में साधारण चोट कारित होने से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से अपनी साक्ष्य में समर्थन नहीं किया है।

7— आहत राजेन्द्र उपाध्याय (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना वर्ष 2011 की है। घटना दिनांक को वह पटेल बस से बैहर से बालाघाट जा रहा था तो घोघाटोला के पास बस नाले में पलट गई थी, जिससे उसके बांये कंधे पर चोट आयी थी, उसका बांया कंधा फ्रेक्चर हो गया था। उसका ईलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर और फिर शासकीय अस्पताल बालाघाट में हुआ था। घटना समय आरोपी बस को तेज गति से चला रहा था। उक्त बस का नम्बर उसे ध्यान नहीं है। उक्त दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी, क्योंकि वह बस तेज गति से होने के कारण नियंत्रित नहीं कर पाया था, जिस कारण बस नाले में पलट गई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वाहन में क्या खराबी आयी, उसे नहीं मालूम। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है, किन्तु साक्षी ने मात्र बस की तेज गति होने के आधार पर वाहन नाले में पलट जाने का तथ्य प्रकट किया है, जबकि इस आहत के अलावा अन्य आहतगण ने आरोपी की कथित दुर्घटना में गलती होने से इंकार किया है।

8— सुखदेव प्रसाद (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह घटना दिनांक-12.07.2011 को दिन के समय की है, वह बैहर से बालाघाट पटेल बस में बैठकर जा रहा था तो रास्ते में घोघाटोला के पास बस रोड से उतरकर गड्ढे में चली गयी थी, जिससे बस में बैठे लोगों को चोट आयी थी। उक्त घटना में उसके घुटने के पास चोट आयी थी। बस में बैठे उपाध्याय के बांये कंधे पर अस्थिभंग हो गया था। उसने घटना के समय बस के चालक को

नहीं देख पाया था। घटना किसकी घटना किसकी गलती से हुई थी, वह नहीं बता सकता। उसे यह पता चला था कि बस का स्टेरिंग फेल हो गया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय बस का चालक बस को धीमी गति व सावधानी पूर्वक चला रहा था और दुर्घटना में बस चालक की गलती नहीं थी, बल्कि स्टेरिंग फ्री होने से अचानक दुर्घटना हो गई थी। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा भी कथित अपराध के संबंध में आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

9— घटना के महत्वपूर्ण साक्षी स्वयं आहत सुन्दरलाल (अ.सा.1) ने स्पष्ट रूप से घटना के समय वाहन बस के ब्रेक फेल होने और आरोपी के द्वारा बड़ी दुर्घटना से बचाने का प्रयास करने के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य पेश किये जाने से उसके कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दुर्घटना कारित वाहन के परीक्षण रिपोर्ट में भी वाहन के स्टेरिंग फ्री होने का उल्लेख किया गया है। वाहन के स्टेरिंग फ्री होने के संबंध में बस में बैठे आहत सुंदरलाल ने भी अपनी साक्ष्य में पुष्टि की है तथा अनुसंधानकर्ता अधिकारी रामभजन (अ.सा.5) के द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया गया है, कि जप्तशुदा वाहन का उसने कमलदास से मैकेनिकल परीक्षण करवाकर रिपोर्ट प्रदर्श डी-2 प्राप्त किया था, जिसमें बस के स्टेरिंग फ्री होने का उल्लेख है।

10— चिकित्सीय साक्षी आर.के.चतुर्वेदी (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-12.07.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक उमेश मिश्रा क्रमांक-41 द्वारा आहत राजेन्द्र उपाध्याय तथा सुन्दरलाल को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया था। उसके द्वारा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, जिसमें आहत राजेन्द्र उपाध्याय के बांये भुजा पर एक मुंदी हुई चोट पाया था, जो कि कड़े एवं बोथरे वस्तु से आना प्रतीत होती है। उसके द्वारा आहत के बांये भुजा का एक्सरे परीक्षण किया गया था, जिसमें बांये भुजा पर अस्थि भंग होना पाया था। उक्त एक्सरे प्लेट क्रमांक-573 है जो आर्टिकल ए-1 है, तथा एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-4, चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 एवं भर्ती टिकट प्रदर्श पी-3 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आहत सुन्दरलाल का भी चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, जिसमें आहत के सिर के सामने वाले भाग पर एक कटा-फटा घाव पाया था, जो कि सख्त एवं बोथरे वस्तु से आना प्रतीत होती है। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 है तथा भर्ती टिकट प्रदर्श पी-6 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार चिकित्सीय साक्षी के द्वारा आहत राजेन्द्र को घोर उपहति कारित होने एवं आहत सुंदरलाल को साधारण उपहति कारित होने की पुष्टि की है।

11— अनुसंधानकर्ता अधिकारी रामभजन (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—12.07.2011 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे रोजनामचा सान्हा क्रमांक—382 जांच हेतु प्राप्त होने पर आहत राजेन्द्र एवं सुन्दरलाल का मुलाहिजा फार्म भरकर चिकित्सीय परीक्षण कराया गया था। उक्त दिनांक को ही अस्पताल तहरीर प्रदर्श पी—9 के आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक—79/11, धारा—279, 337 भा.द.वि. प्रदर्श पी—8 लेख किया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक—19.07.2011 को घटना स्थल का नजरी नक्शा साक्षी सुन्दरलाल की निशानदेही पर प्रदर्श पी—10 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही घटना स्थल से बस क्रमांक—एम.पी.50/ई0168 एवं वाहन के दस्तावेज एवं ड्रायविंग लायसेंस जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—11 एवं जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—12 तैयार किया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा सुन्दरलाल, राजेन्द्र, सुखदेव, शरदकुमार, पवन के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। उक्त दिनांक को ही आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—13 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा जप्तशुदा वाहन का विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया गया है।

12— उक्त अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है। यद्यपि साक्षी के द्वारा अनुसंधान कार्यवाही के दौरान जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल मुलाहिजा करवाकर, परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श डी—2 के अनुसार वाहन का स्टेरिंग फ्री होने को स्वीकार किये जाने के महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में बचाव पक्ष का समर्थन किया गया है।

13— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्षीगण के रूप में आहत सुंदरलाल (अ.सा.1), सुखदेव (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी की उक्त दुर्घटना में गलती होने या उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाये जाने से साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से इंकार करते हुए बस का स्टेरिंग फेल होने के कारण दुर्घटना घटित होने का तथ्य स्वीकार किया है। जबकि अन्य आहत शरद (अ.सा.3) ने कथित घटना के संबंध में किसी भी प्रकार से अभियोजन का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। एकमात्र साक्षी राजेन्द्र (अ.सा.4) ने कथित घटना के समय आरोपी के द्वारा तेज गति से वाहन चलाये जाने व वाहन का नियंत्रण न होने के कारण वाहन पलट जाने को तथ्य पेश किया है, किन्तु साक्षी ने इस जानकारी से भी अनभिज्ञता जाहिर की है कि उक्त वाहन में खराबी आ गई थी। वास्तव में इस साक्षी के द्वारा वाहन के स्टेरिंग फेल होने के महत्वपूर्ण तथ्य से

इंकार न करते हुए अनभिज्ञता जाहिर किये जाने और अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण के द्वारा बचाव पक्ष का वाहन का स्टेरिंग फेल होने के तथ्य का समर्थन किये जाने से आरोपी के विरुद्ध कथित अपराध के संबंध में मामला पूर्णतः संदेहास्पद हो जाता है। मामले में यह तथ्य स्पष्ट है कि दुर्घटना कारित वाहन का घटना के समय स्टेरिंग फेल हो गया था। ऐसी दशा में कथित दुर्घटना यांत्रिकीय खराबी के कारण होना प्रकट होती है, किन्तु आरोपी की कथित उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण वाहन चलाये जाने के कारण वाहन दुर्घटना होना प्रकट नहीं होता है।

14— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आरोपी ने वाहन क्रमांक—एम.पी.50/ई.0168 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए, उक्त वाहन को पलटा कर आहत सुंदरलाल, शरद कुमार व पवन मोहारे को साधारण उपहति तथा राजेन्द्र उपाध्याय को अस्थि भंग कर घोर उपहति कारित की। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 (तीन काउंट), 338 के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

15— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बस क्रमांक—एम.पी.50/ई.0168 मय दस्तावेज के रजिस्टर्ड स्वामी संतोष कुमार पिता मुन्नीलाल पटले, निवासी लिंगा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान की गई है। उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट